

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10324/2025

Sahun S/o Samardeen Mev, R/o Lapala, Police Station Tijara,
District Khairthal (Raj.) (At Present In Sub Jail Hindaun City).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14064/2025

Prahlad @ Hadiya S/o Bhura, Aged About 34 Years, R/o Rajpur
Bada, Police Station Tahla, District Alwar, Rajasthan. (At Present
Confined In Sub Jail Hindaun, District Karauli).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sehban Naqvi & Ms. Rabiya Mateen & Mr, Aneesh Khan Mr. Umashanker Pandey
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Adl. G.A. cum P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त साहुन व प्रहलाद उर्फ हडिया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमशः दिनांक—**29.04.2025** व **11.09.2025** के विरुद्ध धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पृथक-पृथक प्रस्तुत ये जमानत आवेदन पत्र, उन्हें पुलिस थाना **श्रीमहावीरजी, जिला करौली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**21/2025**, अपराध

अन्तर्गत धारा 305(क), 331(4) एवं 334 (1) में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण क्रमशः दिनांक 10.03.2025 एवं 03.09.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण आरिफ एवं अलीजान के जमानत आवेदन पत्र समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार किए जा चुके हैं, प्रार्थीगण का मामला उनसे भिन्न नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण के अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य का अवलोकन किया। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां

इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. साहुन पुत्र श्री समरदीन मेव एवं 2. प्रहलाद उर्फ हडिया पुत्र श्री भूरा** को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J